

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-२७५४/९-१-२०२३-०१ मेला/२१-१७४३२२०
लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 16 सन् 1938) की धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल जिला हाथरस के बृज द्वार देहरी हाथरस में प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से पूर्णिमा तक 15 दिनों के लिये होने वाले "लक्ष्मी मेला श्री दाऊजी महाराज" को प्रान्तीय मेला के रूप में घोषित करती हैं। उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध, नीचे विस्तृत रूप से वर्णित क्षेत्र में उक्त अवधि के दौरान प्रवर्तित होंगे :-

क्षेत्र का विवरण

उत्तर - नगला बेलनशाह
दक्षिण - मौहल्ला सीयल
पूर्व - आबादी नगला चौबे
पश्चिम - आबादी मौहल्ला सीयल


(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या- २७५४ (१)/९-१-२०२३, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना (अंग्रेजी प्रारूप सहित) को दिनांक/16 नवम्बर, 2023 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50 प्रतियाँ शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

अज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या- 2748 (2)/9-1-2023, तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) मण्डलायुक्त, अलीगढ़।
- (2) जिलाधिकारी, हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- (6) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (7) गार्ड फाइल।

अज्ञा से,



(महावीर प्रसाद)

अनु सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1**

The Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification no. 2748/9-1-2023-01MELA/21-1743220, dated: November 16, 2023 for the information general public.

NOTIFICATION

No-2748 /9-1-2023-01MELA/21-1743220

Lucknow-Dated: November 16 , 2023

In exercise of the powers under section 2 of the United Provinces Mela Act, 1938 (U.P. Act no. 16 of 1938), the Governor is pleased to declare "Lakhi Mela Shri Daau Ji Mahraj", held for 15 days from Chaturthi to Poornima of Shukla Paksha in the month of Bhadrapad every year in Brij Dwar Dehri Hathras in District Hathras, as a provincial mela. All the provisions of the said Act shall come into operation during the said period in the area detailed below :-

Details of the Area


North- Nagla Belanshah,

South- Mohalla Seeyal,

East - Aabadi Nagla Chaube,

West - Aabadi Mohalla Seeyal.

By order,


(Amrit Abhijat)
Pramukh Sachiv.